लेटर्स पेटेंट अपील

इससे पहले एसएस संधावालिया और हरबंस लाल जेजे।

संत लाल आदि, अपीलकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य आदि, उत्तरदाता।

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 1975 का 283

10 अक्टूबर, 1977।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम *(1954* का *XXXVII)* - धारा 9 और 23 (1) (ई) - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 - नियम 8 - किसी पद पर प्रारंभिक भर्ती - पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता - क्या ऐसी भर्ती के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

.....

माना जाता है कि योग्यता और उपयुक्तताअनिवार्य रूप सेकिसी पद पर नियुक्ति के लिए सेवा कानून की दोहरी आवश्यकताएं (अन्य बातों के साथ) हैं। यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि राज्य या उस मामले में किसी अन्य कर्मचारी को व्यक्तियों की भर्ती करने से रोक दिया जाना चाहिए। उच्च या बेहतर योग्यता वाले पद के लिए उन लोगों की तुलना में जो इसके लिए पात्रता के लिए न्यूनतम न्यूनतम को पूरा करते हैं। अन्यथा धारण करने में औसत दर्जे पर प्रीमियम देना और उच्च योग्यता के लिए एक प्रोत्साहन भी शामिल होगा, चाहे वह अकादमिक हो या योग्यता से संबंधित हो। किसी नियोक्ता के लिएविज्ञापन में एक शर्त को शामिल करना वैध है कि, बेहतर योग्यता वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी और यदि ऐसा है, तोउच्च शैक्षणिक योग्यता या अनुभव वाले व्यक्तियों की अधिकता उपलब्ध होने पर स्पष्ट रूप से कम योग्यता वाले व्यक्तियों को आवेदन करने की आवश्यकता का सहारा लेने में कोई जादू नहीं होगा। आम तौर पर प्रशासक या नियोक्ता योग्यता और निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है। किसी विशेष पद के कार्य। इसलिए, सिद्धांत रूप में, इस नियम में कोई दोष नहीं है कि राज्य आवेदकों की संख्या को सार्थक रूप से सीमित करने का हकदार हो सकता है और पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए अपनी पसंद के क्षेत्र को सीमित कर सकता है। फिर, जहां पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता या सबसे कठिन आवश्यकता का नुस्खा है, तो स्पष्ट रूप से राज्य के लिएनियम निर्माताओं द्वारा निर्धारित निम्नतम स्तर की तुलना में उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को देखने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हता प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह उसमें निर्धारित चार अर्हताओं में से किसी एक को पूरा नहीं करता है। ये न्यूनतम योग्यता एं प्रतीत होती हैं या दूसरे शब्दों में, पात्रता के लिए आवश्यक पूर्व-आवश्यकता हैं; वही

' *

नियम किसी भी तरह से खाद्य निरीक्षक के पद के लिए विचार किए जाने के लिए न्यूनतम योग्यता रखने वाले व्यक्ति को एक अपरिहार्य अधिकार प्रदान नहीं करता है। यहां नुस्खा स्पष्ट रूप से क़ानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता है। (पैरा 5, 6 और 7)। >

16 अपैरल, 1975 के सिविल रिट सं 1975 में पारित निर्णय के विरुद्ध लेटे आरएस पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत पेटेंट अपील पत्रमाननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन द्वारा 1974 की याचिका सं 604।

अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं की ओर से कुलदीप सिंह, वकील।

ए.जी. की ओर से एम.एस.जैन, एडवोकेट।

जे. एल. गुप्ता, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या *100* 2, 3, 6 और 7।

निर्णय

एस. एस. संधावालिया, जे.

(1) क्या किसी पद पर प्रारंभिक भर्ती के प्रयोजनों के लिए राज्य कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता निर्दिष्ट कर सकता है, यह इसपत्र पेटेंट अपील में निर्धारण के लिए आने वाला एक सांकेतिक प्रश्न है।

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 9 केन्द्र या राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है जो वह उचित समझे, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य निरीक्षक ों के रूप में निर्धारित अर्हताएं रखते हुए,जैसा भी मामला हो, संबंधित सरकारों द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। यह नियुक्ति आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा की जानी है। धारा 23 (1) (ई) खाद्य निरीक्षकों और लोक विश्लेषकों की योग्यताओं, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए समिति के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 8 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति तब तक खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगा,जब तक कि वह उसमें निर्धारित अर्हताओं को पूरा न कर ले।

(3) अपीलकर्ता, जिनके पास योग्य स्वच्छता निरीक्षकों के रूप में एक वर्ष से अधिक का अनुभव है और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में खाद्य निरीक्षण और नमूना करण कार्य में तीन महीने से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे स्वच्छता निरीक्षकों के रूप में काम कर रहे थे और हरियाणा राज्य में विभिन्न स्थानों पर तैनात थे। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी खाद्य निरीक्षक के पद के लिए एक रिक्ति उत्पन्न हुई और

प्रतिवादी-राज्य ने तब एक विज्ञापन (रिट याचिका का अनुलग्नक 'ए') जारी किया, जिसके तहत अन्य योग्यताओं के अलावा, एक स्नातक स्वच्छता निरीक्षक जिसके पास न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुभव है और जिसने किसी भी निर्दिष्ट प्रयोगशाला में खाद्य निरीक्षण और नमूना करण कार्य में तीन महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, को अकेले पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत किया गया था।और रूप। अपीलकर्ता, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, स्वच्छता निरीक्षकों के रूप में काम कर रहे थे, स्नातक नहीं थे और इसलिए, खाद्य निरीक्षक के विज्ञापित पद के लिए पात्र नहीं थे। विज्ञापन के बाद उत्तरदाता संख्या 4 से 7 को खाद्य निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था। इसके बाद पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका दायर की, जिसमें मुख्य रूप से इस आधार पर चयन को चुनौती दी गई कि उन्हें अनुबंध से बाहर नहीं किया जा सकता हैक्योंकि वे निर्धारित न्यूनतम योग्यता (ऊपर उल्लिखित नियम 8) को पूरा करते हैं और प्रतिवादी-राज्य के पास नियमों के तहत निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता निर्दिष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट और सुविचारित निर्णय* में अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं के रुख को खारिज कर दिया।

(4) अनिवार्य रूप से नियम 8 के संशोधनों के अनुरूप इस सिद्धांत को दोहराया गया है, जिसे इस प्रकार विस्तार से देखा जाना चाहिए: –

नियम 8. खाद्य, निरीक्षक की योग्यता: - एक व्यक्ति को खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि, वह-

(i) एक स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी एक चिकित्सा अधिकारी है; नहीं तो

(ii) चिकित्सा में स्नातक या स्नातक है, और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित खाद्य सामग्री, शिक्षण और नमूना करण कार्य में कम से कम एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(iii) वह एक योग्य स्वच्छता निरीक्षक है जिसे 'एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अनुभव है और नियम 6 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी प्रयोगशाला में खाद्य सुरक्षाऔर संपलिंग कार्य में कम से कम तीन महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है; या

(iv) एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक है या कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक है

या डेयरी प्रौद्योगिकी, और नियम 6 के खंड (i) में संदर्भित किसी भी प्रयोगशाला में खाद्य निरीक्षण और नमूना करण कार्य में कम से कम तीन महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है:

परन्तु कोई व्यक्ति जो खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियमावली, 1968 के प्रारंभ होने की तारीख को खाद्य निरीक्षक है, उस पर लागू सेवा की शर्तोंऔर शर्तों के अध्यधीन इस पद पर बने रह सकेगा, भले ही वह खंड (i) से (iv) में निर्धारित अर्हताओं को पूरा न करता हो।

(5) अब, जैसा कि देखा गया है कि उन्होंने 2 मामलों को एक प्रारंभिक भर्ती के रूप में शुरू किया है। इसलिए, हमें स्वयं को सरकार तक ही सीमित रखना चाहिए। निर्धारण के लिए सीधे उठने वाला मुद्दा। हम पहले से ही सार्वजनिक रोजगार में कार्यरत व्यक्तियों के उच्च पद पर पदोन्नति जैसी अन्य पाखंडी स्थितियों के संदर्भ में विवाद के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। अब पहले सिद्धांत रूप में इस मुद्दे की जांच करना और न ही किसी भी वैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखना चाहिए कि योग्यता और उपयुक्तताहमेशा किसी पद पर नियुक्ति के लिए सेवा कानून की दोहरी आवश्यकताओं (दूसरों के बीच) के बराबर होती है। क्या यह कभी कहा जा सकता है कि राज्य या किसी अन्य नियोक्ता को ऐसे पद पर व्यक्तियों की भर्ती करने से रोक दिया जाना चाहिए जिनके पास उन पदों की तुलना में उच्च या बेहतर योग्यता एं हैं जो इसके लिए पात्रता के लिए न्यूनतम न्यूनतम को पूरा करते हैं। इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से होना चाहिए। नकारात्मक में। अन्यथा धारण करने के लिए अनिवार्य रूप से औसत दर्जे पर प्रीमियम लगाना और उच्च योग्यता के लिए लगभग एक असंतोष शामिल होगा, चाहे वह अकादमिक हो या अनुभव से संबंधित हो। वास्तव में, अपीलकर्ताओं की ओर से श्री कुलदीप सिंह को हमारे समक्ष यह स्वीकार करना पड़ा जैसा कि उन्होंने पहले एकल न्यायाधीश के समक्ष किया था किप्रतिवादी-राज्य द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के चयन के प्रयोजनों के लिए पूर्व अनुमति दी जानी चाहिए। समान रूप से, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि यह बी होगा। प्रतिवादी-राज्य के लिए लागू विज्ञापन में एक बयान शामिल करना पूरी तरह से वैध है और मुझे विश्वास है कि बेहतर योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यदि ऐसा है, तो क्या इस बात का सहारा लेने में कोई जादू होगा कि स्पष्ट रूप से कम योग्यता वाले व्यक्तियों को आवेदन करने की आवश्यकता होगी, जबकिउच्च शैक्षणिक योग्यता या अनुभव वाले व्यक्तियों की अधिकता उपलब्ध हो सकती है। यह होना चाहिए? यह ध्यान में रखा गया कि आम तौर पर प्रशासक या नियोक्ता

संत लाई आदि। बहुत। हरियाणा राज्य आदि (संधावलिया, जे।

%

किसी विशेष पद के कार्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव का सबसे अच्छा न्यायाधीश है । इसलिए, सिद्धांत रूप में, इस नियम में कोई दोष नहीं है कि राज्य आवेदकों की संख्या को सार्थक रूप® से सीमित करने और पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की अपनी पसंद के क्षेत्र को सीमित करने का हकदार हो सकता है ।

(6)हमारे विचार से, वर्तमान प्रकार के मुद्दे को निर्धारित करने की कसौटी फिर से, अनिवार्य रूप से पदों के एक वर्ग के लिए योग्यता निर्धारित करने में विधायिका के वास्तविक इरादे की जांच करना है। जहां यह स्पष्ट रूप से न्यूनतम योग्यता या पात्रता के लिए सबसे कठिन आवश्यकता का नुस्खा है, तो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी-राज्य के लिए नियम निर्माताओं द्वारा निर्धारित निम्नतम स्तर से अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों की तलाश करने पर कोई रोक नहीं हो सकती है। आम तौर पर, अधिकांश विधियों या नियमों में योग्यता के नुस्खे में अंतर्निहित शर्त गरीब या अयोग्य व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा में एक पद पर नियुक्त करने से रोकना है, जिसके लिए जिम्मेदार कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता होती है। विधायिका का इरादा शायद ही उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने या उन्हें उस वरीयता से वंचित करने का हो सकता है जो वे अपने उद्योग या योग्यता द्वारा बेहतर योग्यता द्वारा इंगित कर सकते हैं। न ही कोई न्यूनतम योग्यता के नुस्खे को पढ़ सकता है कि इस तरह की योग्यता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस पद के खिलाफ माना जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योग्यता में उससे ऊपर के अन्य लोग उपलब्ध हैं और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बेशक, हम यह नहीं कह रहे हैं कि अधिकतम योग्यता कानून द्वारा तय नहीं की जा सकती है क्योंकि विधायिका के पास ऐसा करने के लिए पूर्ण शक्तियां हो सकती हैं। जो कुछ भी इंगित किया जा रहा है वह यह है कि जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक योग्यता का नुस्खाआमतौर पर विशेष पद के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम है, न कि इसके लिए मैक्सिमा।

(7) उपर्युक्त सिद्धांत के आलोक में संगत सांविधिक उपबंधों की जांच करते हुए सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 9(1) केन्द्र या राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों को खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करती है जिनके पासपूर्वनिर्धारित अर्हताएं हों। निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति की पद धारण करने के लिए उसकी योग्यता निर्धारित करने का विवेकाधिकार स्पष्ट रूप से नियोक्ता-राज्य में निहित है। धारा 23 (1) (ई) खाद्य निरीक्षकों की योग्यता, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। नियम 8 में उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राथमिक प्रावधान शामिल है और यह अपने आप में यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वहनियम में निर्धारित चार अर्हताओं में से किसी एक को पूरा नहीं करता है। ये

निस्संदेह न्यूनतमअर्हता एं होना या दूसरे शब्दों में कहें तो पात्रता के लिए आवश्यक पूर्व-आवश्यकता होने के कारण, यह नियम किसी भी तरह से किसी भी ऐसे व्यक्ति को अप्राप्य अधिकार प्रदान नहीं करता है जिसके पास खाद्य निरीक्षक के पद के लिए विचार की जाने वाली न्यूनतम योग्यता है। सभी प्रासंगिक प्रावधानों को एक साथ ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहां दिया गया नुस्खा फिर से स्पष्ट रूप से कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता है।

(8) तब अपीलकर्ता की ओर से कहा गयाथा किवर्तमान मामले में विज्ञापन नियम 8 के प्रावधानों को या तो बदल देता है या संशोधित करता है। हम दूर-दूर तक ऐसे किसी परिणाम की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। यहां नियम 8 के वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड या संशोधित करने के लिए कोई कार्यकारी निर्देश नहीं है, जो बरकरार और अपरिवर्तित है। लागू विज्ञापन केवल उन लोगों से आवेदन आमंत्रित करता है जो पहली बार में उक्त नियमों द्वारा प्रदान की गई बुनियादी न्यूनतम योग्यता को पूरा करते हैं। केवल इसलिए कि निर्धारित न्यूनतम से अधिक या अतिरिक्त योग्यता निर्धारित की गई है, न तो वैधानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन या संशोधन होगा, बल्कि हमें स्पष्ट रूप से इसके अनुरूप प्रतीत होता है। अपीलकर्ताओं की जोगिंदर सिंह ग्रेवाल बनाम जोगिंदर सिंह ग्रेवाल पर निर्भरता के वकील पंजाब राज्य और अन्य, (1) और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम हरियाणा शमशेर जंग बहादुर और अन्य, (2) हमें गलत प्रतीत होते हैं। ये मामले पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। वेपहले से ही सार्वजनिक सेवा में एक कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में कार्यकारी निर्देश द्वारा वैधानिक योग्यता के परिवर्तन से संबंधित हैं। जाहिर है, ऐसे व्यक्तियों ने नियमों द्वारा निर्धारित योग्यता ओं की धारणा पर सेवा में अपना प्रवेश किया था। इसलिए,पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए केवल कार्यकारी निर्देश द्वारा इन योग्यताओं का बाद में परिवर्तन नियमों के विपरीत होने के रूप में अमान्य होगा और उनके आधार पर सेवा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए भारी कठिनाई होगी। इसलिए, प्रारंभिक नियुक्ति या सीधी भर्ती का वर्तमान मामलामौजूदा सेवा में एक कर्मचारी की पदोन्नति के मामले से अलग और अलग है।

(9) यह हमें उस सिद्धांत से अलग प्रतीत होता है! उदाहरण के तौर पर उत्तरदाता के पक्ष में झुका हुआ है। अपीलकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि सीधी प्रारंभिक भर्ती के मामले में उच्च की आवश्यकता के मामले में किसी भी तरह की आपत्ति का हवाला देने में असमर्थता व्यक्त की गई थी।

(1) 1970 एस.एल.आर.
(2) 1972 एस.एल.आर.

पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक योग्यता। दूसरी ओर, बिंदु अच्छी तरह से कवर किया गया है; बिपल बिहारी लाई आदि में निर्णय। बहुत। हरियाणा राज्य आदि, (3), जिसमें जोगिन्दर सिंह ग्रेवाल और अन्य के मामले को अलग करने के बाद, यह देखा गया था: –

> "वर्तमान मामला सरकार के मौजूदा कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला नहींहै, बल्कि यह एचईसी श्रेणी 1 में पदों पर सीधी भर्ती का मामला है। यह सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार है कि वह सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं बल्कि किसी भी योग्यता का मूल्यांकन करे, बशर्ते कि ऐसी योग्यता को सेवा नियमों के आधार पर उचित ठहराया जा सके। नियुक्ति प्राधिकारी केवल न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने औरफिर उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन इस आधार पर करने के लिए बाध्य नहीं है कि वे अधिक उपयुक्त हैं। याचिकाकर्ता याचिका में केवल यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें पदों

संत लाई आदि। बहुत। हरियाणा राज्य आदि (संधावलिया, जे।

के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास नियम 8 (5) में निर्धारित न्यूनतम योग्यता है और लोक सेवा आयोग या सरकार के लिए यह खुला होगा कि वे इस आधार पर उन्हें अस्वीकार कर दें कि उनके पास पर्याप्त उच्च योग्यता नहीं है।उन्हें पद के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आयन। मेरी राय में लोक सेवा आयोग या सरकार के लिए यह व्यर्थ औपचारिकता होगी। मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि सरकार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन कर सकती है।

मुनि लाई गर्ग बनाम भारत मामले में पूर्ण पीठ का फैसला।राजस्थान राज्य और अन्य, (4), फिर से उत्तरदाताओं की ओर से दिए जा सकने वाले प्रस्ताव के समर्थन में हैं। राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1969, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता निर्धारित की गई थी, की शर्तों को बरकरार रखते हुए, उनके लॉर्डशिप ने यह विचार किया कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी के लिए यह खुला है कि वहसंविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों की तुलना में जिला न्यायाधीशों के रूप में भर्ती के लिए अधिक कठोर अर्हताएं निर्धारित करे।

(3) 1969 के सीडब्ल्यू 1031 ने 30.11.69 को फैसला किया।
(4) एआईआर 1970 राजस्थान 164.

(10) उपर्युक्त कारणों के लिए, बिना किसी कारण के अपील की जाती है और इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत ों को वहन करने के लिए तैयार हैं।

एच.एस.बी.

अपीलीय CIV [IL_____]

एम. आर. शर्मा और एस. एस. सिद्धू से पहले जे. जे.

बिमला देवी , - अपीलकर्ता,

बनाम

सत पाल शर्मा, — प्रतिवादी।

आदेश सं *2008* से प्रथम अपील। 1977 का 49-एम

12 अक्टूबर, 1977।

हिंदू विवाह अधिनियम *(1955* का *XXV)* - धारा 9 , 21 और 23 - नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - आदेश 43 नियम 1 (डी) - उच्च न्यायालय के नियम और आदेश *(*पंजाब और हरियाणा*)* खंड *V* - अध्याय *2*-ए नियम 9 - एकतरफा डिक्री को रद्द करने से इनकार करने वाला आदेश - मुद्रण जमा किए बिना ऐसे आदेश के खिलाफ अपील आरोप- क्या वह आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल किए बिना अपील पर विचार कर सकता है- चाहे वह सुनवाई योग्य हो।

जहां तक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत मामलों का संबंध है, उच्च न्यायालय के अध्याय 2 ए के नियम 9। न्यायालय के नियम और आदेश (पंजाब और हरियाना) खंड V निर्देशिका प्रकृति का है और यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह संबंधित पक्ष को टाइप की गई पेपर बुक जमा करने के लिए कहकर टाइपिंग शुल्क जमा करने से छूट दे या मुद्रण शुल्क जमा करने में देरी को माफ करदे और इस स्कोर पर एक पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। '(पैरा 4)।

यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 21 में, महत्वपूर्ण शब्द "जहां तक हो सके" हैं और विधायिका द्वारा उनके उपयोग का स्पष्ट अर्थ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के दंडात्मक प्रावधान अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए लागू नहीं होंगे। पीड़ित पक्ष के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री शीट की प्रमाणित प्रति दाखिल करना आवश्यक नहीं है। संहिता के आदेश 9 के प्रावधान अधिनियम के तहत हस्तक्षेप ों पर लागू होते हैं और इसका अर्थ यह है कि यदि एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है, तो ट्रायल कोर्ट के लिए इसे रद्द करना खुला है और अपीलीय अदालत के लिए भी खुला है कि वह ट्रायल कोर्ट की गलती को ठीक करे यदि मामला अपील में लाया जाता है। (पैरा 6)।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा